(Form 'M')

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 12, 1990

संख्या : प.2 (6)वन/89–चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार का अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वो[illegible] वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में [illegible] कराना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जायेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिये नियुक्त करती है [illegible] जांच व अभिलेखन, जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14 17, 18 और 19 में प्रवाहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशु पालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना [illegible] किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
(एल. एल. तलवा)
उप-शासन सचिव।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	लालसागर	जोधपुर	जोधपुर	उत्तर:–सड़क जोधपुर से बेरपुरा को पूर्व:–सीमा ग्राम पूंजला दक्षिण:–सीमा ग्राम मदासिया। पश्चिम:–रेल्वे लाईन भाईका बाग से मन्डोर व पहाड़गंज कोलोनी	ग्राम जोधपुर ख. न. [illegible] 1893 390.16 बीघे [illegible] ग्राम पूंजला 3 मी. 130.00 " 4 मी. 2.30 " 5 मी. 84.00 " 4,607.06 बीघा एकड़ 442.82 हैक्टर 98.26

T.C.
(Singh)

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5		6
						ग्राम गैवा
6. मूंडेश्वर	जोधपुर	जोधपुर		उत्तर:—सीमा ग्राम बांगा	778 मी.	217.09 बंजर भूमि
				पूर्व :—सीमा ग्राम जोधपुर	779 ,,	1.08 शा।।ा।क
				दक्षिण:— ,,	780 ,,	रास्ता
				पश्चिम:—ग्राम गैवा की भूमि	781 ,,	644.19 पहाड़
					782 ,,	0.01 रेवे चाईन
					781/1-3	0.01 ,,
					783	नाडी
					784	मन्दिर
					785	358.19 बंजर भूमि
					9	1253.00 बीघा
						ग्राम बागां
					712	0.01 गै.मु. बेरा
					713	2.15 नाडा
					714	0.12 रास्ता
					715	2.10 मंदिर
					716	0.03 टांका
					717	0.11 मंदिर
					718	1.01 टांका
					719	0.04 आबादी
					720	14.00 मोरम
					721	1.03 मंदिर
					722	562.19 गै.मु.भाखर
					723	22.12 गै.मु. नाडी
					724	4.19 गै.मु. पाल
					768	2.17 गै.मु. नाडी
					769	0.11 मंदिर
					770	202.14 गै.मु.भाखर
					840	15.15 गै.मु.भाखर
					841	1.06 गै.मु. सड़क
					842	0.01 धर्मशाला
					19	836.18 बीघा
					कुल बीघा	2089.18
					एकड़	835.67
					हैक्टयर	338.19
7. मातीसरा	,,	,,		उत्तर:—ग्राम मण्डोर का रकबा		ग्राम मंडोर
				पूर्व:—ग्राम मण्डोर का रकबा	ख.नं. क्षेत्रफल	किस्म भूमि
					5	2973.00 गै.मु. पहाड़
				दक्षिण:—ख.नं. 1459 गै.मु. सड़क	1	2973.00 बीघा
				पश्चिम :—सीमा ग्राम बागां		
					एकड़	1189.20
					हैक्टर	481.18
8. मानिया	,,	,,		उत्तर:—रास्ता ग्राम गैवा से बागां को		ग्राम गैवा
				पूर्व :—ग्राम गैवा की काश्त भूमि	ख.नं.	क्षेत्रफल किस्म भूमि
				दक्षिण:—सीमा वन खण्ड चानणा भाखर	28	4.06 गै.मु. मगरा
				पश्चिम :—सीमा वन खण्ड बेड़ा भाखर	33	114.17 ,,
					71	23.13 गै.मु. मगरा
					72	41.00 गै.मु. [illegible] रा
					73	17.17 गै.मु. शाला
					78	14.17 गै.मु. पहाड़
					79	11.08 गै.मु. नाडी